UPSR010012212022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–निर्दोष कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1659

सत्र वाद संख्या–268/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ———————अभियोगी/वादी।

बनाम

दीपक पुत्र रामराज उम्र–25 वर्ष निवासी–नसीरपुरवा, दा०–हरदत्तनगर गिरण्ट, पूर्व थाना–मल्हीपुर, वर्तमान थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती।

———————————विपक्षी/अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–224/2022

धारा–377 भा०दं०सं०

व धारा–5(m)/6 पॉक्सो एक्ट

थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र वाद थाना मल्हीपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श–क–5 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–224/2022 धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पर प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त संस्थित हुआ है। मामला बालक के विरूद्ध लैंगिक अपराध से सम्बन्धित है, अतः पीड़ित के नाम उल्लेख न करते हुये निर्णय में उसे "पीडित" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी हरीराम पुत्र सोहन ने थाना प्रभारी निरीक्षक मल्हीपुर को दिनांक–24–05–2022 को लिखित तहरीर प्रदर्श–क–1 इस आशय से दी कि दिनांक–21–05–2022 समय लगभग 7:30 बजे शाम उसके गांव के ही दीपक व कनउ उसके घर के पास आये और उस समय वह गाय से दूध निकाल रहा था। प्रतिवादीगण उसके पुत्र पिन्टू उम्र–05 वर्ष को जबरन ट्यूबवेल के पास उठा ले गये। इसके बाद कनउ वहां से हटकर कुछ दूरी पर खड़ा होकर आने जाने वाले को राह देखने लगा तथा दीपक उसके पुत्र की चड्ढी खोलकर दुष्कर्म करने लगा। तो उसका लड़का चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दौड़ा और कहा कि वह आ रहा है। उसकी आवाज सुनकर प्रतिवादीगण वहां से

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.04.06 16:37:21 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

भाग गये। उसका लड़का नग्न अवस्था में चिल्ला रहा था। पिन्टू ने भी दोनों व्यक्तियों के नाम बताये हैं। प्रतिवादीगण दबंग व्यक्ति है। **प्रतिवादीगण उसे थाने नहीं आने दे रहे थे। सुलह का दबाव बना रहे थे।** वह छिप करके किसी तरह से थाना आया है।

3– वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–मल्हीपुर में अभियुक्तगण दीपक व कनउ के विरूद्ध चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श–क–3 मुकदमा अपराध संख्या–224/2022 धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुयी तथा मुकदमें का खुलासा नकल जी०डी० प्रदर्श–क–4 में किया गया।

4– मामले की विवेचना निरीक्षक राम नवल यादव द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए एफ०आई०आर० लेखक, वादी हरीराम, पीड़ित का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल की नक्शा–नजरी तैयार किया तथा पीड़ित का मेडिकल कराया। विवेचक ने आगे अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा चश्मदीद साक्षी व अन्य गवाहान के बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा पीड़ित का बयान धारा–164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया। विवेचक ने चिकित्सक साक्षी का बयान अंकित किया। **विवेचक ने महेश उर्फ कनउ की नामजदगी गलत पायी** तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दीपक के विरूद्ध धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो एक्ट आरोप पत्र प्रदर्श–क–5 न्यायालय में प्रेषित किया।

5– आरोप पत्र प्राप्त होने पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक–10–08–2022 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–13–09–2022 को अभियुक्त दीपक के विरूद्ध धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो एक्ट आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6– राज्य की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्र०सं	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1–	पी०डब्लू०–1	हरीराम	प्रथम सूचक
2–	पी०डब्लू०–2	ननका देवी	हरीराम
3–	पी०डब्लू०–3	पीडित	पीडित
4–	पी०डब्लू०–4	रामविलास	परिस्थितिजन्य
5–	पी०डब्लू०–5	हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम	एफ०आई०आर लेखक
6–	पी०डब्लू०–6	निरीक्षक राम नवल यादव	विवेचक
7–	पी०डब्लू०–7	डॉ० अजय गौतम	चिकित्सक
8–	पी०डब्लू०–8	डॉ० खुर्शीद अहमद खां	चिकित्सक

9–	पी०डब्लू०–9	वर्मा गौतम	परिस्थितिजन्य

7– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान ने निम्नलिखित प्रदर्श को साबित किया है:–

क्र०सं	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
1–	प्रदर्श–क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–1
2–	प्रदर्श–क–2	बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं०	पी०डब्लू०–2
3–	प्रदर्श–क–3	चिक एफ०आई०आर	पी०डब्लू०–5
4–	प्रदर्श–क–4	कायमी जी०डी०	पी०डब्लू०–5
5–	प्रदर्श–क–5	घटनास्थल नक्शा–नजरी	पी०डब्लू०–6
6–	प्रदर्श–क–6	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–6
7–	प्रदर्श–क–7	एक्स–रे रिपोर्ट	पी०डब्लू०–7
8–	प्रदर्श–क–8	उम्र विषयक प्रमाण पत्र	पी०डब्लू०–7
9–	प्रदर्श–क–9	मेडिकल रिपोर्ट	पी०डब्लू०–8

8– पी०डब्लू०–1 ता पी०डब्लू०–7 का साक्ष्य होने के पश्चात पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी। दिनांक–03–09–2025 को अभियुक्त का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित हुआ। अभियुक्त ने गवाहान द्वारा गलत व झूठा बयान देना बताया और कहा कि **हरीराम (प्रथम सूचक) के सगे भाई रामविलास के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–85/2021 धारा–323,324,504 भा०दं०स० के मामले में अभियुक्त के पिता ने सरकारी गवाही न्यायालय पर दिया था और उक्त मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए प्रश्नगत मुकदमा लिखाया गया है**। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया। परन्तु दिनांक–20–09–2025 को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया।

9– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं०प्र०सं० पर पी०डब्लू०–8 व पी०डब्लू०–9 को परीक्षित कराया गया और उनका बयान अंकित किया गया। पी०डब्लू०–8 व पी०डब्लू०–9 के बयान के आधार पर अभियुक्त का पूरक बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने गलत व रंजिशन झूठा बयान देना बताया।

10– अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०–1 शोभाराम पुत्र भगौती प्रसाद, डी०डब्लू०–2 नान्हू पुत्र विद्याराम व डी०डब्लू०–3 डॉ० जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त चिकित्सक को परीक्षित कराया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दस्तावेज साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये हैं–

a– मुकदमा अपराध संख्या–85/2001 धारा–323,324,504 भा०दं०सं० की चिक एफ०आई०आर० की सत्यप्रति,

b– आरोप पत्र की सत्यप्रति,

c– पी०डब्लू०–2 रामराज के बयान की सत्यप्रति।

11– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

12– पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा हरीराम पुत्र सोहन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि "घटना लगभग 07 महीने पहले की है। जेठ माह की घटना है। शाम 7:00 बजे की घटना है। उस समय मैं अपने घर पर ही गाय लगा रहा था। तभी विपक्षी दीपक और कान्हा जो मेरे गांव के निवासी है, आये ओर मेरे नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर गांव के दक्षिण ट्यूबवेल के पास ले गये। विपक्षी दीपक ने मेरे लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने लगे और कान्हा आने जाने वाले लोगों की निगरानी कर रहे थे। तभी मेरे लड़के ने शोर मचाया। **तब शोर सुनकर मैं पहुँचा तो उपरोक्त विपक्षीगण मौके से भाग गये** और मेरा लड़का नग्न अवस्था में रो रहा था। तब घटना की सारी बात मुझसे बतायी। **घटना वाले दिन काफी आंधी पानी आ गया था। इसलिए घटना के दूसरे दिन थाने गया**। तब थाने में दरोगा जी ने कहा कि दो दिन बाद आना। तब मैं घटना के चौथे दिन अपने लड़के के साथ थाने गया। तब प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर मेरा मुकदमा लिखा गया था। साक्षी को कागज संख्या ए–3/4 दिखाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिस पर मेरे अंगूठे का निशान है, पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–1 डाला गया। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

13– पी०डब्लू०–2 ननका देवी पत्नी हरीराम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से लगभग 10 माह पूर्व की है। समय करीब साढ़े सात बजे शाम का था। उस समय मैं घर में खाना बना रही थी। मेरे पति घर के द्वारे पर गाय लगा रहे थे। मेरा लड़का घर के आगे खंम्भे के पास खेल रहा था। तभी विपक्षी दीपक और कान्हा जो मेरे गांव के रहने वाले हैं, आये और पीड़ित को 20/– रूपये देकर दुकान पर ले जाने के बहाने सरकारी ट्यूबवेल पर ले गये और मेरे लड़के के साथ विपक्षी दीपक ने चड्डी उतारकर अप्राकृतक दुष्कर्म करने लगे और कान्हा सड़क पर खड़े होकर निगरानी कर रहा था। इस पर पीड़ित न शोर मचाया तो शोर की आवाज सुनकर मेरे पति दौड़कर मौके पर पहुँचे। मेरे पति को आता देखकर विपक्षीगण मौके से भाग गये। तब मेरे पति पीड़ित को लेकर घर आये। **लड़के की चड्डी से खून निकल रहा था**। तब पीड़ित ने घटना की सारी बात मुझसे बतायी। **घटना वाले दिन आंधी पानी आने के कारण थाने पर नहीं गये थे**। **घटना के चौथे दिन मेरे पति और लड़का थाने पर गये थे**। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

14– पी०डब्लू०–3 पीड़ित ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में

कथन किया है कि "घटना आज से लगभग 01 साल पहले की है। समय करीब 07:00 बजे शाम का था। उस समय मैं खम्भे के पास खेल रहा था जो मेरे घर के दरवाजे पर था। तभी विपक्षीगण दीपक और कान्हा जो मेरे गांव के रहने वाले हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, आये और दीपक ने 20/– रूपये देकर कहा कि चलो दुकान पर चलते हैं। दुकान पर ले गये जिसके बाद मुझे ट्यूबवेल के पास ले गये और दीपक ने मेरी चड्डी उतारकर मेरे साथ गलत काम किया और विपक्षी कान्हा सड़क पर खडे होकर रखवाली कर रखा था। **विपक्षी को गलत काम करने सेक मेरी चूतर में दर्द होने लगा और खून निकलने लगा।** तब मैं जोर से चिल्लाया तब मेरी आवाज पर मेरे पापा आ गये। मेरे पापा को आता देखकर विपक्षीगण मुझे छोड़कर मौके से भाग गये। तब मैंने घटना की सारी बात अपने पापा से बतायी। **उस दिन पानी बरस रहा था तो हम लोग थाने पर नहीं गये थे। घटना के चार दिन बाद मैं पापा के साथ थाने पर गया था**। मेरा डॉक्टरी परीक्षण सी०एच०सी० भिनगा में हुआ था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के यहां भी बयान हुआ था। साक्षी को बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० दिखाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही बयान है, जिसे मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस पर मेरी फोटो लगी है और मेरा अंगूठा लगा है, पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–2 डाला गया। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

15– पी०डब्लू०–4 रामविलास पुत्र सोहनलाल ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से लगभग एक वर्ष पहले की है। समय करीब 7:00–7:30 बजे शाम का था। उस समय मैं अपने घर पर था। तभी मुझे अपने भाई हरीराम के घर से शोर की आवाज सुनाई पड़ी। तब मैं अपने भाई के आंगन में गया तो देखा कि **हरीराम के लड़के पीड़ित के चुतड़ से खून निकल रहा था** और पीड़ित ने बताया कि गांव के ही दीपक और कान्हा मुझे बहला फुसलाकर गांव के दक्षिण ट्यूबवेल पर ले गये थे और मेरे साथ दीपक ने गलत काम किया था और कन्हा सड़क पर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे।जब मैंने शोर किया तो हरीराम को आता देखकर विपक्षीगण मौके से भाग गये थे। तब हरीराम अपने लड़के को लेकर घर आये थे। घटना की सारी बात पीड़ित ने रो रोकर मुझसे व गांव के तमाम लोगों से बतायी थी। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

16– पी०डब्लू०–5 हेड का० मोहम्मद असलम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 24.05.2022 को मैं कांस्टेबल मोहर्रिर के पद थाना मल्हीपुर में कार्यालय में तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा हरिराम पुत्र सोहन निवासी नसीरपुरवा दा० हरदत्तनगर गिरण्ट थाना मल्हीपुर जनपद श्रवस्ती एक किता पूर्व हिन्दी लिखित तहरीर बनाम विपक्षीगण दीपक पुत्र रामराज, कनऊ पुत्र

सुमिरन निवासीगण नसीरपुरवा दा० हरदत्तनगर गिरण्ट थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती के विरूद्ध अपने बेटे (पीड़ित) के साथ थाना हरदत्तनगर उपस्थित आये प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 224/2022 धारा 377 भा०दं०सं० व 5m/6 पॉक्सो एक्ट थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती में मेरे द्वारा अक्षरशः बोल बोलकर मेरे साथ तैनात रहे का० दीपू से कम्प्यूटरीकृत कराया था। पत्रावली संलग्न कागज संख्या ए 3/1 ता ए3/3 मूल चिक है जिस पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है पहचान करता हूँ जिस पर प्रर्दश क – 3 डाला गया। इस मुकदमें की कायमी जी०डी० नम्बर 65 दिनांक 24.05.2022 समय 21.28 बजे मेरे साथ तैनात रहे का० दीपू द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया गया। पत्रावली संलग कागज संख्या 40/1 कायमी जी०डी० है पहचान करता हूँ। जिस पर प्रर्दश क– 4 डाला गया विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

17– पी०डब्लू०–6 इंस्पेक्टर राम नवल यादव जो मामले के विवेचक हैं ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–24–05–2022 को मैं थाना मल्हीपुर में तैनात था। उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या–224/2022 धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट की विवेचना ग्रहण की थी। उसी दिन पर्चा नं०–1 जिसमें नकल रपट, नकल चिक, बयान एफ०आई०आर० लेखक कांस्टेबल मोहर्रिर मोहम्मद असलम का सी०डी० में अंकन व बयान पीड़ित अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० का अंकन किया गया। पर्चा नं०–2 दिनांक–26–05–2022 जिसमें नकल मेडिकल रिपोर्ट पीडित, अवलोकन मेडिकोलीगल रिपोर्ट, बयान वादी मुकदमा हरीराम, निरीक्षण घटनास्थल का सी०डी० में अंकन किया गया। पर्चा नं०–3 दिनांक–28–05–2022 अवलोकन एक्स–रे रिपोर्ट, नकल चिकित्सीय आयु प्रमाण पत्र का सी०डी० में अंकन किया गया तथा पीड़ित का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० का अंकन किया गया। पर्चा नं०–4 दिनांक–29–05–2022 जिसमें बयान चिकित्सक डॉ० जगदीश प्रसाद का अंकन किया गया। पर्चा नं०–5 दिनांक–30–05–2022 जिसमें अवलोकन बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० का अंकन किया गया। पर्चा नं०–6 दिनांक 04–06–2022 बयान गवाह पीड़ित की मां श्रीमती नन्हका देवी, बयान गवाह श्रीमती सुनीता, बयान गवाह राम विलास, गवाह सुषमा देवी, गवाह नान्हू व वेदराज उर्फ वेद प्रकाश का सी०डी० में अंकन किया गया। पर्चा नं०–7 दिनांक–15–06–2022 बयान एस०आई० बाल कल्याण श्री गुलाब चौधरी का सी०डी० में अंकन किया गया। पर्चा नं०–8 दिनांक–25–06–2022 बयान नामित आरोपी महेश उर्फ कनउ व श्रीमती सुनीता देवी का सी०डी० में अंकन किया गया। पर्चा नं०–9 दिनांक–02–07–2022 नकल रोबकार सूचना आत्मसमर्पण अभियुक्त दीपक का सी०डी० में अंकन

किया गया। पर्चा नं०–10 दिनांक–04–07–2022 बयान अभियुक्त दीपक का अंकन किया गया। पर्चा नं०–11 दिनांक–06–07–2022 जिसमें बयान पीडित, वादी मुकदमा, अन्य गवाहों, निरीक्षण घटनास्थल एवं पीड़ित के उम्र सम्बन्धी मेडिकली प्रपत्रों के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–224/2022 धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती में अभियुक्त दीपक पुत्र रामराज के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6/1 ता ए–6/3 आरोप पत्र है, कागज संख्या ए–5 नक्शा–नजरी है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, प्रमाणित करता हूँ। जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क–5 व प्रदर्श–क–6 डाला गया।"

18– पी०डब्लू०–7 डॉ० अजय गौतम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–28–05–2022 को मैं उपरोक्त पद पर तैनात था। उसी दिन पीड़ित पिन्टू उम्र निर्धारण हेतु आरक्षी सतीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा श्रावस्ती लाये गये थे। सी०एम०ओ० द्वारा गठित पैनल का एक मैं भी सदस्य था। पीड़ित की उम्र लगभग 05 साल एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार पायी गयी थी। पीड़ित की एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की एल्बो, नी, सोल्डर व रिस्ट ऑल आर नोट फ्यूज पायी गयी थी। पत्रावली संलग्न कागज संख्या ए–8/5 पीड़ित का उम्र सम्बन्धी मेडिकल प्रपत्र है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है, पहचान करता हूँ। पत्रावली संलग्न कागज संख्या ए–8/4 पीड़ित का फाइनडिंग रिपोर्ट है, पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–7 व प्रदर्श–क–8 डाला गया।"

19– पी०डब्लू०–8 डॉ खुर्शीद अहमद खां, वर्तमान तैनाती मल्हीपुर सी०एच०सी० ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–24–05–2022 को मैं इसी पद पर तैनात था। उसी दिन पीड़ित को इलाज हेतु का० संजीत कुमार के द्वारा मेरे समक्ष लाया गया था। मेरे द्वारा पीड़ित का मेडिकल परीक्षण किया गया था। पीड़ित द्वारा अपने गुदा द्वार पर दर्द बताया गया था। जिसके लिए एक्सपर्ट ऑपियनन के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा श्रावस्ती को रेफर किया गया था। पीड़ित अपने पेट में दर्द भी बता रहा था। चोटों की प्रकृति सामान्य थी। चोटो की अवधि लगभग दो दिन पुरानी थी। यह चोटें हार्ड एण्ड ब्लड ऑबजेक्ट से आयी थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–8/3 पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–9 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

20– पी०डब्लू०–9 वर्मा गौतम पुत्र हरिराम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "यह घटना आज से लगभग 4 साल पहले शाम के 7 बजे की है। उस समय मैं गाँव में टहलने गया था। मेरे पिता जी घर पर ही गाय लगा

रहे थे। उस समय मेरे घर के पास विपक्षी दीपक और कॉन्हा जो मेरे घाँव के रहने वाले है। मेरे छोटे भाई पीड़ित को बहला फुसला कर गाँव के दक्षिण तरफ ट्यूबवेल के पास खेत में ले गये थे। जहाँ पर उसके साथ दीपक ने अप्राकृतिक दुष्कर्म (गलत काम) किया था। विपक्षी काँन्हा आने जाने वाले की निगरानी कर रहा था। जब दीपक मेरे भाई के साथ गलत काम कर रहा था तब मेरा भाई शोर मचाया था उसके शोर पर मेरे बडे पापा मौके पर पहुँच गये थे उनको देखकर विपक्षी मौके से भाग गये थे। तब मेरे भाई ने घटना की सारी बात मेरे पापा को बताई थी और घर आने पर घटना की सारी बात मुझको और गाँव के और लोगों ने बताई थी। जब मैने अपने छोटे भाई (पीडित) के चूतड से खून निकल रहा था। उस समय मैंने अपनी मोबाइल से फोटो खींचा था और वह फोटो मैने दरोगा जी को दिखाया था, दरोगा जी ने मुझे थाने पर बुलवाया था और मुझसे वह फोटो लिया था। **घटना के एक घंटे बाद आँधी पानी आ गया था इसलिये घटना के दूसरे दिन मेरे पापा पीड़ित को साथ में लेकर थाने गये थे।** दरोगा जी ने दो दिन बाद आने को कहा था तब मेरे पिता जी थाने पर गये थे उसके बाद उनकी दरखास पर रिपोर्ट लिखी गई थी। दोरगा जी ने जो फोटो मुझसे लिया था वह पत्रावली में लगाया है कि नहीं, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना के बारे मे दरोगा जी मेरा बयान लिया था लेकिन उन्होंने यह बयान लिखा कि नहीं इसके बारे में मै नहीं बता सकता हूँ। जिस मोबाइल से मैने फोटो लिया था वह घटना के एक महीने बाद मेरे मुम्बई जाने पर वही पर खो गई।"

21– अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैं–

22– डी०डब्लू०–1 शोभाराम पुत्र भगौती प्रसाद ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं अपने गांव के हरीराम को जानता हूँ। आज से साढ़े तीन साल पहले हरीराम के लड़के के साथ कोई घटना नहीं हुयी थी। यदि कोई घटना होती तो गांव में रहने के नाते मुझे पता होता। दीपक को जब पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। तब पता चला कि हरीराम ने दीपक के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दिया है। **दीपक के पिता ने हरीराम के भाई राम विलास के खिलाफ एक अन्य मुकदमें में गवाही दी थी और उस मुकदमें में हरीराम के भाई राम विलास को सजा हो गयी थी**। इसी रंजिश से हरीराम ने दीपक के खिलाफ यह मुकदमा लिखा दिया था।"

23– डी०डब्लू०–2 नान्हू पुत्र विद्याराम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले मेरे गांव के निवासी हरीराम के लड़के के साथ कोई घटना नहीं हुयी थी। मैं उस समय गांव पर ही रहता था। **जब दीपक को पुलिस वालों ने जेल भेज दिया था तब गांव में चर्चा**

हुयी कि हरीराम ने पुरानी रंजिश को लेकर दीपक के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है। पुलिस वाले गांव में आये थे। मेरा नाम पूछा था तथा यह भी पूछा था कि हरीराम के लड़के के साथ कोई घटना हुयी है या नहीं तो मैंने बताया था कि हरीराम के लड़के साथ कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं हुयी है और न ही मैं किसी घटना के बारे में जानता हूँ। इसके अलावा पुलिस वालों ने मेरा और कोई बयान लिखा है तो वह गलत लिखा है। "

24– डी०डब्लू०–3 डॉ० जगदीश प्रसाद सेवानिवृत्त चिकित्सक ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–25–05–2022 को मैं सी०डी०एच० भिनगा में तैनात था। उस दिन इमरजेंसी ड्यूटी में था। सी०पी० संजीत कुमार द्वारा बालक पिन्टू को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। बालक के गुदा द्वार का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। **परीक्षण के दौरान बालक के गुदा द्वार एवं अगल–बगल कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी थी**। कागज संख्या ए–8/2 मेडिकोलीगल रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–ख–1 डाला गया।

25– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

26– न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है किः–

(i)– क्या पीड़ित घटना के समय अवयस्क था?

(ii)– क्या घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त ने पीड़ित की चड्ढी खोलकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म/प्रवेशन लैंगिक हमला किया?

27– अभियोजन की ओर से दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि घटना को वादी मुकदमा एवं पीड़ित ने अपने बयान से साबित किया है। पी०डब्लू०–2 पीड़ित की मां व पी०डब्लू०–4 ने भी घटना को साबित किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित पी०डब्लू०–8 ने भी पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण करना साबित किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयान में कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं है और उनके बयान से घटना संदेह से परे साबित है। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में प्रेषित साक्ष्य बनावटी एवं हितबद्ध है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने याचना की है।

28– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रश्नगत मुकदमा पूर्व मुकदमें बाजी की रंजिश में लिखाया गया है, क्योंकि मुकदमा अपराध संख्या–85/2011, मुकदमा संख्या–823/2013 धारा–323,324,504 भा०दं०सं० में अभियुक्त के पिता ने कथित पीड़ित के चाचा रामविलास के विरूद्ध सरकारी गवाही दिया है और चल रहे मुकदमें में सुलह के दबाव हेतु असत्य तथ्यों के

आधार पर यह झूठा मुकदमा लिखाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयान में काफी विरोधाभाष है। वादी मुकदमा द्वारा घटना की एफ०आई०आर० विलम्ब से लिखायी गयी है और विलम्ब के बावत कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। पीड़ित का बयान भी समय–समय पर परिवर्तित होता रहा है और उसके बयान में घोर विरोधाभाष है। पीड़ित के चिकित्सीय परीक्षण से घटना का समर्थन नहीं होता है। विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। अभियुक्त का मात्र पूर्व मुकदमें बाजी की रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। अतः अभियुक्त के दोषमुक्ति की याचना की गयी है।

<u>निस्तारण प्रथम विचारणीय बिन्दुः–</u>

29– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय पीड़ित की आयु 05 वर्ष थी। विवेचक द्वारा पीड़ित के उम्र के सम्बन्ध में मेडिकल कराया गया है। जिसमें सी०एम०ओ० श्रावस्ती द्वारा गठित समिति द्वारा पीड़ित के एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित की आयु लगभग 05 वर्ष निर्धारित की गयी है। पीड़ित की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श–क–8 व आयु प्रमाण पत्र प्रदर्श–क–7 को पी०डब्लू०–7 ने अपने बयान से साबित किया है।

30– पी०डब्लू०–7 डॉ० अजय गौतम, आर्थोसर्जन ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक–28–05–2022 को पीड़ित उम्र निर्धारण हेतु आरक्षी सतीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा उसके समक्ष लाया गया था। सी०एम०ओ०, श्रावस्ती द्वारा गठित पैनल का एक वह भी सदस्य था। पीड़ित की उम्र लगभग 05 वर्ष एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर पायी गयी थी। पीड़ित की एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार एल्बो, नी, सोल्डर व रिस्ट फ्यूज्ड नहीं पायी गयी थीं। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि उसने एक्स–रे परीक्षण किया था। एक्स–रे रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है, फांइन्डिंग पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी के उपरोक्त बयान के आधार पर भी घटना दिनांक को पीड़ित की आयु लगभग 05 वर्ष होना साबित है।

31– पी०डब्लू०–1 ने जिरह में बताया है कि उसके तीन लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम वर्मा, फिर तेजराम और फिर पीड़ित है। बडे लड़की की उम्र–15 साल है। पहले और दूसरे लड़के के बीच 03 साल का अन्तर है। दूसरे लड़के के 04–05 साल बाद पीड़ित पैदा हुआ था। पी०डब्लू०–2 ने जिरह में बताया है कि उसके तीन लड़के हैं। उसके बड़ लड़के की उम्र–15–16 साल होगी, फिर कहा 17–18 साल होगी। बीच वाले लड़के का नाम तेजराम है। बड़े लड़के से तेजराम कितना छोटा है, वह नहीं जानती है। तेजराम के 03–04 साल बाद पीड़ित पैदा हुआ था। पी०डब्लू०–1 के बयान के आधार पर भी बच्चों की पैदाईश की वर्षवार गणना करने पर पीड़ित की आयु घटना के समय लगभग 5–6 वर्ष होना साबित है। पी०डब्लू०–2 पीड़ित की मां

के बयान के आधार पर बच्चों की पैदाईश के बावत कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

32– उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पीड़ित के उम्र के बावत कोई तर्क भी नहीं दिया गया है और न ही खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श–क–7 में भी पीड़ित की आयु 05 वर्ष अंकित की गयी है। न्यायालय के समक्ष भी पीड़ित का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० एवं सशपथ बयान अंकित हुआ है जिसमें उसकी आयु 05 वर्ष अंकित की गयी है। ऐसी परिस्थिति में घटना के समय पीड़ित का अवयस्क होना निर्विरोध रूप से साबित है। तद्नुसार प्रथम विचारणीय बिन्दु निस्तारित।

<u>निस्तारण द्वितीय विचारणीय बिन्दुः–</u>

33– घटना की चिक एफ०आई०आर० वादी द्वारा दिनांक–24–05–2022 को समय 21:28 बजे दर्ज करायी गयी है। जिसमें घटना दिनांक–21–05–2022 को 19:30 बजे घटित होना बतायी गयी है। इस प्रकार एफ०आई०आर० में लगभग 03 दिन का विलम्ब है। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने अपने बयान में विलम्ब के बावत बताया है कि घटना 07:00 बजे शाम की है। उस समय वह अपने घर पर ही गाय लगा रहा था। जब लड़के ने शोर मचाया तो शोर सुनकर वह पहुँचा तो विपक्षीगण मौके से भाग गये और उसका लड़का नग्न अवस्था में रो रहा था। तब घटना की सारी बात उससे बतायी। घटना वाले दिन काफी आंधी पानी आ गया था। इसलिए घटना के दूसरे दिन थाने गया। तब थाने में दरोगा जी ने कहा कि दो दिन बाद आना। तब वह घटना के चौथे दिन अपने लड़के के साथ थाने गया और प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर उसका मुकदमा लिखा गया। जिरह में साक्षी ने बताया है कि जब वह घटनास्थल से वापस घर आया तो उसी दिन थाने पर आंधी पानी की वजह से नहीं जा पाया था। जब वह वापस आया तो सबको बताया और फिर सबको लेकर दीपक के घर गया था। थाने पर दरख्वास्त उसने दी थी। घटना के चौथे दिन दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त देने वह व उसका लड़का थाने गये थे। दरख्वास्त थाने पर चौथे दिन दी थी। साक्षी के बयान से घटना के चौथे दिन एफ०आई०आर० दर्ज कराया जाना साबित है। साक्षी ने एफ०आई०आर० में विलम्ब होने का कारण घटना वाले दिन आंधी पानी आना बताया है जबकि घटना के दूसरे व तीसरे दिन एफ०आई०आर० क्यों दर्ज नहीं करायी गयी यह साक्षी के बयान से स्पष्टीकृत नहीं है।

34– पी०डब्लू०–2 पीड़ित की मां ननका देवी ने बताया है कि घटना वाले दिन आंधी पानी आने के कारण थाने पर नहीं गये थे। घटना के चौथे दिन उसके पति और लड़का थाने पर गये थे। जिरह में साक्षी ने बताया है कि घटना वाले दिन वह थाने पर नहीं गयी थी। लड़का और उसकें पति गये थे, लेकिन आंधी पानी आ गया था।

फिर घटना के चौथे दिन थाने गये थे। दूसरे और तीसरे दिन थाने गये थे, लेकिन साहब नहीं मिले थे। चौथे दिन वह थाने पर नहीं गयी थी। **घटना वाले दिन पीड़ित को थाने के अलावा उसके पति और कहीं नहीं ले गये थे। उसके बाद चौथे दिन थाने ले गये थे। दूसरे तीसरे दिन घर पर ही था**। चौथे दिन उसके लड़के की डॉक्टरी हुयी थी।

35– पी०डब्लू०–3 पीड़ित ने अपने बयान में बताया है कि उसने घटना की सारी बात अपने पापा से बतायी। उस दिन पानी बरस रहा था तो वे लोग थाने पर नहीं गये थे। **घटना के चार दिन बाद वह पापा के साथ थाने पर गया था**।

36– पी०डब्लू०–6 इंस्पेक्टर राम नवल यादव ने एफ०आई०आर० विलम्ब के बावत बताया है कि **घटना के 03 दिन बाद एफ०आई०आर० दर्ज की गयी थी। एफ०आई०आर० विलम्ब से दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में उसने विवेचना में पूछताछ की थी। वादी मुकदमा द्वारा बताया गया था कि प्रतिवादी गांव का व बिरादरी का था। उसके पिता से शिकायत करने पर उनके द्वारा बताया गया था कि वह उसे डांटेगा और सजा देगा। लेकिन उसके पिता द्वारा ऐसा न करने पर उसके द्वारा दो दिन विलम्ब से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है**। यह कारण वादी ने न्यायालय में नहीं बताया है जो विरोधाभाष दर्शित करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि एफ०आई०आर० में विलम्ब का कारण वादी ने यह बताया है कि विपक्षीगण उसे थाने नहीं आने दे रहे थे और सुलह का दबाव बना रहे थे। किसी तरह बचकर थाने आया था। यह कारण भी वादी ने न्यायालय में अपने बयान में नहीं बताया है। इससे एफ०आई०आर० में विलम्ब का स्पष्टीकरण साबित नहीं है।

37– पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा, पी०डब्लू०–2 पीड़ित की मां व पी०डब्लू०–3 पीड़ित के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना की एफ०आई०आर० चौथे दिन दर्ज करायी गयी है। साक्षीगण के बयान से यह भी स्पष्ट है कि घटना वाले दिन आंधी पानी गिर रहा था। लेकिन साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के दूसरे व तीसरे दिन एफ०आई०आर० क्यों दर्ज नहीं करायी गयी। जबकि वादी घटना वाले दिन घर पर ही था और उसे घटना के तुरन्त बाद ही घटना की सूचना मिल गयी थी। फिर भी घटना के चौथे दिन एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार घटना की एफ०आई०आर० सोच समझकर घटना के चौथे दिन दर्ज कराया जाना दृष्टिगत है।

38– पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा हरीराम ने अपने बयान में बताया है कि घटना के समय वह अपनी गाय लगा रहा था। विपक्षी दीपक और कान्हा जो उसके गांव के निवासी है, आये और उसके लड़के को बहला फुसलाकर गांव के दक्षिण ट्यूबवेल के पास ले गये। विपक्षी दीपक ने उसके लड़के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने लगा। **जब लड़के ने शोर मचाया तो शोर सुनकर वह मौके पर पहुँचा तब तक**

विपक्षीगण भाग गये और लड़का नग्न अवस्था में रो रहा था।

39– जिरह में पी०डब्लू०–1 ने बताया है कि घटना की तारीख वह नहीं बता पायेगा। वह शाम 07:00 बजे गाय लगा रहा था। **उसके लड़के को पकड़ ले गये थे जब वह गाय लगा रहा था। उसने लड़के को पकड़ते हुए नहीं देखा था**। चिल्लाने की आवाज सुनी थी तो वह अकेले दौड़कर गया था और उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं था। मौके पर उसने कान्हा व दीपक को देखा था। उसके घर से ट्यूबवेल लगभग 50 कदम दूर है। उसके घर से ट्यूबवेल सीधा दिखायी देता है। अगर ट्यूबवेल से जोर से आवाज लगायी जो तो उसके घर पर आवाज आती है। **तथाकथित घटना के समय वह, उसकी पत्नी और दो लड़कियां घर पर मौजूद थे।** घटना के समय सब फसल कट गयी थी। धान गेंहू सब कट गया था। अरहर भी कट गया था। उस समय कोई फसल नहीं लगी थी। दीपक उसके पास शाम 7:00 बजे आया था। उस समय वह घर पर था। दीपक ने उसके लड़के को बीस रूपया दिया था, फिर दूकान पर ले गये थे। यह बात मैंने दरोगा जी को बतायी थी। साक्षी के विवेचक को दिये बयान को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि साक्षी ने विवेचक को इस तथ्य को नहीं बताया था कि दीपक ने उसके लड़के को बीस रूपया दिया था। साक्षी ने आगे जिरह में बताया है कि ट्यूबवेल पर वह लड़के के चिल्लाने पर तुरन्त पहुँच गया था। **दीपक को उसने लड़के को ले जाते हुए देखा था।** जब वह ट्यूबवेल पर पहुँचा था तब दीपक और काना मौजूद थे। जब वह थोड़ी दूर पर था तब वह लोग भाग गये थे। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि उसने जिरह में एक बार कहा है कि उसने अभियुक्त द्वारा पीड़ित को पकड़कर ले जाते नहीं देखा था परन्तु बाद में जिरह में बताया है कि दीपक को उसने लड़के को ले जाते हुए देखा था। साक्षी के बयान इस तथ्य के बावत भी विरोधाभाषी है कि जब वह ट्यूबवेल पर पहुँचा तो विपक्षीगण मौके पर मौजूद थे या उसके पहुँचने पर मौके से भाग गये थे। साक्षी ने मुख्य परीक्षा के बयान में बताया है कि जब वह ट्यूबवेल पर पहुँचा तो विपक्षीगण मौके से भाग गये थे। जबकि जिरह में बताया है कि जब वह ट्यूबवेल पर पहुँचा तो दीपक और काना मौजूद थे। इस प्रकार साक्षी के बयान का बयान महत्वपूर्ण तथ्यों के बावत विरोधाभाषी है और उसका बयान विश्वसनीय प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है।

40– पी०डब्लू०–1 ने आगे जिरह में बताया है कि लड़के को सीधे घर लाया था। फिर गोली लाकर खिलाया था। फिर डॉक्टरी करायी थी। डॉक्टरी भिनगा में करायी थी। डॉक्टरी चार दिन बाद हुयी थी। जब ट्यूबवेल पर पहुँचा था तो लड़का चड्डी बनियान पहना था और उसकी चड्डी पर खून लगा था। **चड्डी घर पर रखी थी लेकिन उसको कुत्ता उठा ले गये थे**। **जब लड़के की डॉक्टरी हुयी थी तब दवाई का पर्चा मिला था**। जहाँ डॉक्टरी हुयी थी वही दवाई दिये थे। दवाई 10 दिन तक

चली थी। साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि लडके की डॉक्टरी की दवाई का पर्चा मिला था। जबकि विवेचक द्वारा केस डायरी में पीड़ित की दवाई के बावत कोई पर्चा दाखिल नहीं किया है और चिकित्सक ने भी कोई दवा दिये जाने का कथन न्यायालय में नहीं किया है।

41– पी०डब्लू०–2 ननका देवी पीड़ित की मां हैं, ने अपने बयान में बताया है कि घटना के समय वह खाना बना रही थी और उसके पति घर के द्वारे पर गाय लगा रहे थे। उसका लड़का घर के आगे खम्भे के पास खेल रहा था तभी दीपक और कान्हा जो उसके गांव के रहने वाले हैं आये और पीड़ित को 20/– रूपये देकर दुकान पर ले जाने के बहाने सरकारी ट्यूबवेल पर ले गये और उसके लड़के के साथ विपक्षी दीपक ने चड्डी उतारकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जब उसके पति पीड़ित को लेकर घर आये तो लड़के की चड्डी से खून निकल रहा था। जिरह में साक्षी ने बताया है कि घटना के समय गेंहू व अरहर की फसल लगी थी और फसल कट गयी थी। **ट्यूबवेल उसके घर से चार घर दूर है और सीधा दिखाई देता है**। ट्यूबवेल अईया पठान के खेत में लगा है। दीपक ने उसके लड़के को 20/– रूपया दिया था, यह उसने नहीं देखा था लेकिन इसको उसके लड़के ने बताया था। यह बात लड़के ने अपने पिता से भी बतायी थी। उसके घर से दीपक का घर 05–06 घर दूर है। घटना वाले दिन पीड़ित दरवाजे पर खेल रहा था। पीड़ित अकेले था, खम्भे के पास बैठा था। नक्शा नजरी प्रदर्श–क–6 को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि उक्त नक्शा–नजरी में विवेचक द्वारा पीड़ित के दरवाजे पर खेलने का स्थान दर्शित नहीं किया गया है और न ही वादी का मकान दर्शाया है। वादी के मकान से ट्यूबवेल की दूरी भी नहीं दर्शायी है। जबकि ट्यूबवेल से घटनास्थल 'X' की दूरी 110 मीटर बतायी है। यह तथ्य साक्षीगण व पीड़ित के बयान से मेल नहीं खाता है, क्योंकि घटना ट्यूबवेल के पास घटित होना बतायी गयी है।

42– जिरह में पी०डब्लू०–2 ने आगे बताया है कि उसके पति उस समय गाय लगा रहे थे। उसके पति के सामने दीपक उसके लड़के को बुलाकर नहीं ले गये थे। **उसके पति थोड़ी दूर पर गाय लगा रहे थे, इसलिए नहीं देख पाये थे। उसके पति ने ले जाते हुए नहीं देखा था**। जब उसके पति मौके पर पहुँचे तो काना और दीपक भाग लिये थे। साक्षी के उपरोक्त बयान से भी स्पष्ट है कि जब वादी मुकदमा मौके पर पहुँचा था तब तक विपक्षीगण मौके से भाग गये थे और उसने विपक्षीगण को पीड़ित को घर से ले जाते हुए भी नहीं देखा था।

43– जिरह में पी०डब्लू०–2 ने आगे बताया है कि घटना के समय ट्यूबवेल के आस पास गेंहू की फसल लगी हुयी थी जो उस समय कट गयी थी। ट्यूबवेल लठ्ठापुरवा का एक आदमी चलाता है। कभी–कभी आते है और कभी–कभी बाहर चले

जाते हैं। पीड़ित जब घर में दरवाजे पर बैठा था तो **काली चड्डी और सफेद बनियान पहना था**। चड्डी व बनियान पहने था जब घर लाये थे तब खून से सना था। **चड्डी बनियान दोनों खून से सने थे**। घटना के समय खेत में लगी फसल कट गयी थी और खेत जोता मचाया था। **खून से सनी चड्डी और बनियान दरोगा जी को दिखायी थी। खून से सनी चड्डी और बनियान दरोगा जी ने कहा कि ले जाओ**। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन उसके लड़के को ले जाते हुए उसके पति ने नहीं देखा था। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि पीड़ित के खून से सनी चड्डी को विवेचक ने अपने कब्जे में लेकर जाँच हेतु एफ०एस०एल० नहीं भेजा है जो विवेचनात्मक कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह् लगाता है और घटना पर भी संदेह का कारण दर्शित करता है।

44– पी०डब्लू०–3 पीड़ित घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है और उसके बयान को सूक्ष्मता के साथ विश्लेषित किया जाना आवश्यक है। पीड़ित लगभग पाँच वर्षीय बालक है। उसकी साक्ष्य हेतु सक्षमता परखने के बाद उसका साक्ष्य का अंकन किया गया है। पी०डब्लू०–3 ने अपने बयान में बताया है कि घटना के समय वह खम्भे के पास खेल रहा था जो उसके घर के दरवाजे पर था। तभी विपक्षीगण दीपक और काना जो उसके गांव के रहने वाले हैं, आये और दीपक ने 20/– रूपये देकर कहा कि चलो दुकान पर चलते हैं। उल्लेखनीय है कि पीड़ित ने 20/– रूपये देने वाला कथन न्यायालय में पहली बार किया है। इसके पहले पीड़ित ने विवेचक एवं मजिस्ट्रेट के सक्षम उक्त के बावत कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार यह कथन स्पष्ट रूप से अभिवृद्धि प्रतीत होती है।

45– पी०डब्लू०–3 ने अपने बयान में आगे कथन किया है कि दुकान पर ले गये, जिसके बाद उसे **ट्यूबवेल के पास ले गये** और दीपक ने उसकी चड्डी उतार कर उसके साथ गलत काम किया। विपक्षी के गलत काम करने से उसकी चूतर में दर्द होने लगा और खून निकलने लगा। जब वह जोर से चिल्लाया तब उसकी आवाज पर उसके पापा आ गये। उसके पापा को आता देखकर विपक्षीगण उसे छोड़कर मौके से भाग गये। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि दीपक को पहले जसे जानता है। उसके घर से दीपक का घर कितना दूर है, नहीं जानता है। दीपक के घर वालों को नहीं जानता है। ट्यूबवेल खेत में लगा है और वहां आम व फटेन का पेड़ लगा है। उसके घर से ट्यूबवेल दिखता है। दीपक उसके घर पर आये थे और दुकान पर ले गये थे। **जब बलराम की दुकान पर ले गये थे रात हो गयी थी**। पीड़ित का बयान स्वाभाविक नहीं है कि क्योंकि घटना मई माह के शाम 7:30 बजे की गयी थी और मई माह में 7:30 बजे रात होना स्वाभाविक नहीं है।

46– जिरह में पीड़ित ने आगे बताया है कि वह दुकान से ट्यूबवेल पर ले गये थे। **उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचकर ट्यूबवेल पर ले गये थे**। **जब वह चिल्लाया**

तो उसके बप्पा पहुँच गये फिर दोनों भाग गये। ट्यूबवेल से चिल्लाया था। केवल बप्पा आये थे और कोई नहीं आया था। फिर उसके बप्पा उसे लेकर घर आ गये थे। चड्डी खोल कर गलत काम कर दिये तब चिल्लाये थे। उसका भिनगा दवा हुयी थी और कहीं दवा नहीं हुयी थी। **जब दीपक घर से उसे ले गया था तब घर पर कोई नहीं था।** पीड़ित का उपरोक्त बयान पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 के बयान से विरोधाभाषी है, जिसमें पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 ने अपने–अपने बयान में बताया है कि जब दीपक पीड़ित को घर से लेकर गया था तब वादी मुकदमा गाय लगा रहा था और पीड़ित की मां खाना बना रही थीं और पीड़ित की दो बहन भी घर पर ही मौजूद थीं। इस प्रकार पीड़ित का बयान विरोधाभाषी है और उसका बयान विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। पीड़ित ने एक बार खींचकर ले जाते समय चिल्लाने पर अपने पिता को आना बताया है जबकि दूसरी जगह अभियुक्त द्वारा ट्यूबवेल पर ले जाकर गलत काम करने के बाद चिल्लाना बताया है। इससे घटना पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

47– पी०डब्लू०–3 पीड़ित ने जिरह में आगे कथन किया है कि वह बप्पा से दुकान पर जाने के लिए नहीं पूछे थे। बप्पा नहीं देख पाये थे कि वह दुकान पर गया था। दीपक को भी ले जाते नहीं देखे थे। शाम को खाना खाने के बाद सो जाते हैं। जब बप्पा ट्यूबवेल से लेकर आये थे तब वह खाना खा के सो गया था। **उसके बप्पा 04 दिन बाद भिनगा लाये थे, उसके पहले घर था और चार दिन कहीं और दवा नहीं कराये थे।** पीड़ित का उक्त बयान पी०डब्लू०–1 के बयान से विरोधाभाष है, जिसमें पी०डब्लू०–1 ने बताया है कि उसने गांव में से ही गोली लाकर पीड़ित को खिलाया था।

48– पी०डब्लू०–3 पीड़ित ने जिरह में कथन किया है कि दुकान से दीपक कुछ दिलाये नहीं थे। 20/– रूपया दिये थे। जब दुकान पर ले गये थे, रात हो गयी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। **बप्पा थाने पर नहीं ले गये थे**। पीड़ित का उपरोक्त बयान पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 के बयान से विरोधाभाषी है, जिसमें पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 ने बताया है कि वह पीड़ित को साथ में लेकर थाने गये थे। पीड़ित ने आगे बताया है कि **दरोगा जी से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुयी थी। दरोगा जी उससे कुछ नहीं पूछे थे**। जब दुकान पर वह गया था, **सफेद बनियान व <u>लाल चड्डी पहना था</u>**।पीड़ित का उपरोक्त बयान पी०डब्लू०–2 के बयान से विरोधाभाषी है, जिसमें पी०डब्लू०–2 ने बताया है कि पीड़ित जब घर के दरवाजे पर बैठा था तो **<u>काली चड्डी</u> व सफेद बनियान पहना था**। इस प्रकार पीड़ित का बयान भी घोर विरोधाभाषी है।

49– पी०डब्लू०–3 ने जिरह में आगे बताया है कि बयान दिनांक से कितने

दिन पहले ट्यूबवेल पर दीपक के साथ गया था, नहीं जानता। **उसके बप्पा बयान देने को बताये थे**। जिस दिन दीपक उसे ले गया था, उस दिन उसका बड़ा भाई घर पर था, छोटा भाई मुम्बई में था। डॉक्टर के वहां जब वह गया था तब डॉक्टर ने 04 दिन की दवा दी थी। खाने वाली दवा दिया था और कोई दवा नहीं दी। जब उस दिन उसके पिता उसे घर लाये तब वह खाना खाया तब दूसरा कपड़ा पहनकर सो गया था, वह कपड़ा जो पहले पहना था वह निकाल कर दीवाल पर रखा था, कुत्ता उठा ले गया था। **वह कपड़ा कुत्ता ले जाते वे देखे थे**। कितना दिन बाद उठा कर ले गया था, नहीं जानता। उपरोक्त बयान अत्यन्त अविश्वसनीय एवं अस्वाभाविक तथ्यों को इंगित करता प्रतीत होता है और अपने पिता के बताये अनुसार पीड़ित द्वारा बयान दिये जाने की पुष्टि करता है।

50– पी०डब्लू०–4 राम विलास ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में बताया है कि घटना के समय वह अपने घर पर था तभी उसे अपने भाई हरीराम के घर से शोर की आवाज सुनायी पड़ी तो वह अपने भाई के आंगन में गया तो देखा कि हरीराम के लड़के के चुतड़ से खून निकल रहा था और पीड़ित ने यह बताया था कि दीपक उसे बहला फुसलाकर गांव के दक्षिण ट्यूबवेल पर ले गया था और उसके साथ दीपक ने गलत काम किया था।

51– जिरह में पी०डब्लू०–4 ने बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर पर था। घटना वाले दिन पीड़ित को वह अपने घर के सामने नहीं देखा था। उसके घर से ट्यूबवेल थोड़ी दूर पर है। ट्यूबवेल के आसपास घटना के समय कोई फसल नहीं थी। जोता गोड़ा था। उसके पहले कौन सी फसल लगी थी नहीं जानता। **जाड़ा का मौसम था, जाड़ा हल्का था**। साक्षी का उपरोक्त बयान स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि चिक एफ०आई०आर० में **घटना मई माह की दर्शायी गयी** है और उस समय जाड़ा होना स्वाभाविक नहीं है। जिरह में साक्षी ने आगे बताया है कि हरीराम के घर वह घटना वाले दिन ही गया था। **हरीराम के घर वह 7:00 बजे पहुँचा था**। जबकि चिक एफ०आई०आर० में घटना शाम 7:30 बजे की बतायी गयी है। **जब वहां पहुँचा तब बहुत लोग थे। वह किसी का नाम नहीं बता सकता**। वह अपने गांव के आदमियों का नाम नहीं जानता है। पीड़ित को वह जब आंगन में ले गये थे तब देखा था। उसे 7:00 बजे ले गये थे। **पीड़ित को जब लेटाये थे तब वह चड्ढी बनियान पहना था रंग नहीं बता पायेगा। पीड़ित को कहीं ले नहीं गये थे**। **पुलिस जाँच के लिए आयी थी, यह वह नहीं देखा। उसके पास दरोगा पुलिस कोई नहीं आया था। दरोगा जी उसका नाम पूछे थे**। साक्षी ने इन सुझाव को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि वह घटना वाले दिन दीपक और कान्हा को अपनी आंख से नहीं देखा था। यह सही है कि पीड़ित के पिता पीड़ित को लेकर कहीं नहीं गये थे। यह

कहना सही है कि दरोगा जी उसका नाम पूछे थे और कुछ नहीं पूछे थे। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था, विवेचक ने मात्र उसका नाम पूछा था। यह भी स्पष्ट है कि यह साक्षी प्लांटिड गवाह है और इसे घटना के समय की ऋतु की भी जानकारी नहीं है। यह साक्षी विश्वास योग्य नहीं है।

52– पी०डब्लू०–5 हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम ने वादी की तहरीर के आधार पर प्रश्नगत मुकदमें की चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श–क–3 व कायमी जी०डी० प्रदर्श–क–4 कांस्टेबल दीपू से बोल–बोलकर कम्प्यूटरीकृत कराना साबित किया है। यह एक औपचारिक साक्षी है।

53– पी०डब्लू०–6 इंस्पेक्टर राम नवल यादव जो मामले के विवेचक है, ने मामले की विवेचना करते हुए वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी प्रदर्श–क–6 तैयार करना एवं पीड़ित के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० अंकित कराना एवं अन्य साक्षियों के बयान अंकित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श–क–5 प्रेषित करना साबित किया है। जिरह में साक्षी ने बताया है कि **घटनास्थल से खून का सैम्पल नहीं लिया था। उसने घटनास्थल पर खून पड़ा हुआ नहीं देखा था**। उसने डॉक्टर जगदीश प्रसाद का बयान दर्ज किया था। डॉक्टर साहब ने अपने बयान में बताया था कि मेडिकल परीक्षण on examined no external injury found on anus and peri anal area. चूँकि पीड़ित घटना दिनांक–21–05–2022 के लगभग चार दिन बाद दिनांक–24–05–2022 को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा उसके पिता द्वारा अपने गावं से ही अपने स्तर से दवा इलाज करने की बात कही गयी थी। अतः **मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वह निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है अथवा नहीं।** उस समय घटनास्थल या उसके आस पास कोई फसल नहीं लगी थी। साक्षी द्वारा लिये गये डॉक्टर के बयान से भी अभियुक्त के गुदा पर कोई चोट नहीं पायी गयी थी। विवेचक द्वारा पीड़ित की कच्छी को कब्जे में लेकर एवं पीड़ित के खून को जाँच हेतु नहीं भेजा गया और न ही घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र करने का कोई प्रयास किया गया। इस प्रकार विवेचक द्वारा विवेचना घोर लापरवाही पूर्वक किया जाना दृष्टिगत है।

54– पी०डब्लू०–8 डॉ० खुर्शीद अहमद खां ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक–24–05–2022 को पीड़ित को कांस्टेबल संजीत कुमार द्वारा उसके समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था और उसी दिन उसने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण किया था। पीड़ित द्वारा अपने गुदा द्वार पर दर्द बताया गया था। जिसके लिए Expert opinion के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा को रेफर किया गया था। पीड़ित ने अपने पेट में दर्द भी बता रहा था। चोटों की प्रकृति सामन्य थी। चोटों की अवधि

लगभग दो दिन पुरानी थी। यह चोटें Hard and blunt object से आयी थी। साक्षी ने पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए प्रदर्श–क–9 के रूप में साबित किया है।

55– पी०डब्लू०–8 ने जिरह में बताया है कि चिकित्सीय परीक्षण उसने रात 11:00 बजे किया था। 11:05 जो समय लिखा है, उसमें ओवरराइटिंग है। पीड़ित ने पेट व गुदा द्वार में दर्द की शिकायत की थी। **पीड़ित के कोई इंजरी नहीं पायी गयी थी।** गुदा द्वार के बाह्य परीक्षण में कोई रक्तस्राव नहीं पाया गया था। **क्योंकि पीड़ित के शरीर पर कोई चोट या सेक्सुअल एसाल्ट के लक्षण नहीं पाये गये थे, इसलिए उसके अभिभावक के बताने के अनुसार समयावधि लगभग दो दिन लिखा गया** था। चूँकि पीड़ित ने परीक्षण के समय दर्द बताया था, इसलिए परीक्षण रिपोर्ट में Caused by hard and blunt लिखा गया है। Hard and blunt चोट लाठी या डण्डे से पहुँचायी जाती है। चिकित्सक के उपरोक्त बयान से यह दृष्टिगत है कि उसने वस्तुतः पीडित के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी है, मात्र पीडित के बताये अनुसार कठोर कुन्द वस्तु से चोट आने का अंकन मेडिकल रिपोर्ट में किया है और चोट की अवधि भी पीडित के अभिभावक के बताने के अनुसार लिखी गयी है। इस प्रकार चिकित्सक की राय विशेषज्ञ राय न होकर अनुश्रुत साक्ष्य मात्र है। जिस पर विश्वास व्यक्त करना उचित नहीं है। इसके विपरीत प्रतिरक्षा साक्षी डी०डब्लू०–3 ने दिनांक–25–05–2022 को पीडित के गुदा द्वार के चिकित्सीय परीक्षण करने के उपरान्त कोई भी बाह्य चोट नहीं पायी है और जिरह में भी इस तथ्य को बताया है कि बालक के परीक्षण में कोई चोट नहीं पायी थी। चिकित्सक का यह बयान तथ्य के गवाहान व पीडित के बयान के विपरीत है, जिसमें उनके द्वारा पीडित के गुदा द्वार से घटना के समय खून निकलना बताया गया है। यदि ऐसी चोट लगी होती तो उसका कोई निशान या लक्षण चिकित्सीय परीक्षण में अवश्य पाया जाना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर घटना की पुष्टि होना नहीं पाया गया है।

56– पी०डब्लू०–9 ने पीडित के चूतड़ से खून निकलने का फोटो घटना के बाद अपने मोबाइल से खींचना बताया है और विवेचक को भी देना बताया है। परन्तु विवेचक ने न तो केस डायरी में इसका उल्लेख किया है और न ही साक्ष्य में ऐसा फोटो पेश किया गया है। मोबाइल के सम्बन्ध में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के एक माह बाद उसकी मोबाइल मुम्बई जाने से खो गयी थी। जिरह में साक्षी ने बताया है कि वह तीन भाई हैं और घटना के समय तीनों घर पर थे। यह बयान पीडित के बयान से विरोधाभाषी है, जिसमें उसने अपने छोटे भाई को घटना के समय मुम्बई में होना बताया है। इससे साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह् लगता है। आगे जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि उसने अपने भाई को घटना के आधे घण्टे बाद घर पर देखा था।

उस समय भी खून बह रहा था। उसने अपने भाई की चड्ढी उतार कर उसके चोटहिल चूतड़ का अपने मोबाइल से फोटो खींचा था। उसने यह फोटो दरोगा जी व इंस्पेक्टर साहब को दिखाया भी था और उन लोगों के वहाटशेप पर भेजा था। उसने मोबाइल से फोटो स्वयं नहीं निकलवाया था क्योंकि उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी मोबाइल गायब हो जायेगी। मोबाइल गायब होने की कोई भी रिपोर्ट उसने नहीं लिखायी थी। दरोगा जी ने उसका बयान नहीं लिया था, केवल फोटो लिया था। साक्षी के बयान से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि घटना के बाद उसने पीडित के खून निकलने सम्बन्धी फोटो लिये हों और उनको विवेचक को दिया हो। विवेचक ने उक्त साक्षी को अपनी विवेचना में शामिल भी नहीं किया है। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से भी घटना की पुष्टि नहीं होती है।

57– अभियुक्त का मुख्य बचाव यह है कि वादी के भाई के विरूद्ध किसी मामले में उसके पिता ने बयान दिया था। उक्त मामले का विवरण भी बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अभियुक्त ने बताया है जो मुकदमा अपराध संख्या–85/2001 धारा–323,324,504 भा०दं०सं० न्यायालय जी०जे०एम०, श्रावस्ती बताया गया है। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित आरोप पत्र, एफ०आई०आर० व बयान की सत्यप्रतियां दाखिल की गयी हैं। जिसके अवलोकन से यह विदित है कि वादी बेचूलाल पुत्र बंशीलाल द्वारा विपक्षीगण **राम विलास पुत्र सोहन**, संतोष पुत्र राम विलास, गिरधारी पुत्र रामलाल व टिकरी पुत्र रामलाल निवासी ग्राम नसिरपुरवा, हरदत्तनगर गिरण्ट, थाना–मल्हीपुर के विरूद्ध दिनांक–25–06–2001 को मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में मुकदमा लिखाया गया है। जिसमें आरोप पत्र में गवाह संख्या–2 के रूप में अभियुक्त के पिता रामराज पुत्र राम भरोसे को दर्शाया गया है। पी०डब्लू०–2 के रूप में दिनांक–18–10–2004 को उक्त रामराज ने विपक्षीगण के विरूद्ध बयान दिया है। इससे यह परीलक्षित है कि दोनों पक्षों में पहले से ही मुकदमें के बावत रंजिश है।

58– पी०डब्लू०–1 ने जिरह में यह कथन किया है कि दीपक के बाप रामराज से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। जबकि सुझाव में यह स्वीकार किया है कि रामराज ने घटना के पहले उसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी। फिर कहा कि घटना के बाद दिया था। पी०डब्लू०–2 ने सुझाव में स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व दीपक के पिता रामराज ने उसके पति के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। इससे यह स्वीकृत रूप से साबित है कि घटना से तुरन्त पहले अभियुक्त के पिता ने वादी मुकदमा के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। ऐसी परिस्थिति में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व की रंजिश एवं तात्कालिक शिकायत के आवेश में प्रस्तुत मामला वादी मुकदमा द्वारा बनावटी तैयार करके लिखाया गया हो।

59– डी०डब्लू०–1 व डी०डब्लू०–2 ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी के लड़के के साथ कोई घटना नहीं हुयी थी और पुरानी रंजिश को लेकर यह मुकदमा वादी ने लिखाया था। डी०डब्लू०–1 ने यह बताया है कि दीपक के पिता ने हरीराम के भाई राम विलास के खिलाफ एक अन्य मुकदमें में गवाही दी थी और उस मुकदमें में हरिराम के भाई राम विलास को सजा हो गयी थी। इसी रंजिश से यह मुकदमा हरीराम ने लिखाया है। उपरोक्त तथ्यों के बावत कोई प्रश्न साक्षी से नहीं किये गये हैं। अतः साक्षी का उपरोक्त साक्ष्य अखण्डित हैं।

60– यह उल्लेखनीय है कि डी०डब्लू०–2 नान्हू पीडित का परिवारी चाचा लगता है। जिसे आरोप पत्र में साक्षी संख्या–6 के रूप में नामित किया गया था परन्तु बाद में उसे अभियोजन ने उन्मोचित किया है। पी०डब्लू०–1 ने जिरह में बताया है कि नान्हू को वह जानता है। नान्हू उसके चचेरे भाई हैं। नान्हू का घर उसके घर से एक घर दूर है। पी०डब्लू०–2 ने भी जिरह में बताया है कि नान्हू उसके छोटे देवर हैं। नान्हू का घर उसके घर से तीन घर दूर है। ऐसी परिस्थिति में इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करना और अभियुक्त की ओर से घटना के घटित न होने के सम्बन्ध में बयान देना भी अभियोजन के विपरीत उपधारणा को बल देता है।

61– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **उमेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील संख्या–3054/2013 निर्णित दिनांक 05–06–2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय **सरदबिरदी चन्द्र सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 एस०सी०सी० (क्रिमिनल) 487** में अवधारित सिद्धान्त को पुनः दोहराते हुये यह प्रतिपादित किया है कि अपराध जितना गम्भीर हो साक्ष्य का स्तर भी उतना ही ठोस होना चाहिए। प्रस्तुत मामला पॉक्सो अधिनियम एवं अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसे गम्भीर अपराध के लिए विचारित है। परन्तु जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है वह अत्यन्त विरोधाभाषी एवं विसंगतियों से परिपूर्ण है। पीड़ित का बयान भी *स्टरलिंग* गवाह की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि पीड़ित के बयान से अभियोजन कथानक साबित नहीं है और पीडित का बयान घोर विरोधाभाषी साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त पीड़ित के पिता एवं भाई व पीडित की मां के बयान एवं अन्य साक्षीगण के बयान से तथा अन्य साक्ष्य भी पत्रावली इस प्रकार दृष्टिगत है जिसके आधार पर मामला विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। *स्टरलिंग* गवाह ऐसा गवाह होता है जो अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा चाहे कितनी भी सघन क्यों न हो, उसमें भी स्थिर एवं दृढ़ बने रहे। प्रस्तुत मामले में पीड़ित का साक्ष्य विरोधाभाषी है। इससे भी अभियोजन के विपरीत बनावटी साक्ष्य तैयार करने की उपधारणा को बल मिलता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है और कहानी में

बनावटीपन और विसंगतियां स्पष्ट दृष्टिगत हैं।

62– अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त विश्लेषण के उपरान्त प्रस्तुत मामले में एफ०आई०आर० में 03 दिन की देरी का उचित स्पष्टीकरण साबित नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट से पीडित को घटना में कोई चोट आना साबित नहीं हुआ है। पीडित द्वारा घटना के समय पहने गये वस्त्र के सम्बन्ध में पीडित व उसकी मां के बयान में विरोधाभाष है। पीडित के उक्त वस्त्रों को विवेचक ने कब्जे में लेकर एफ०एस०एल० नहीं भेजा है और पीडित से चिकित्सक द्वारा एनल स्वाब लेकर भी पैथोलॉजी में स्पर्मेटोजोआ की जाँच हेतु नहीं भेजा गया है। इससे कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी घटना के सम्बन्ध में एकत्र नहीं हो सका है। दोनों पक्षों में पहले से मुकदमें में गवाही देने की रंजिश भी स्पष्ट है और घटना के पहले भी अभियुक्त के पिता द्वारा पीडित के पिता के विरूद्ध दरख्वास्त दिये जाने का कथन स्वीकृत रूप से साबित है। वादी/पीडित ने घटना मई महीने की बतायी है जबकि पी०डब्लू०–4 ने घटना सर्दी के दिनों की बतायी है। घटना वादी के घर से 50 कदम दूर ट्यूबवेल के पास होना बतायी गयी है, जबकि घटनास्थल ट्यूबवेल से भी लगभग 120 मीटर दूर घटित होना दर्शायी गयी है। पीडित ने घटना के समय घर पर एक भाई के उपस्थित होना बताया है और एक भाई को मुम्बई होना बताया है। जबकि उसके भाई पी०डब्लू०–9 ने घर पर सभी तीनों भाईयों को उपस्थित होना बतया है। वादी द्वारा अभियुक्त को पहले ही मौके से भाग जाना बताया गया है। अभियोजन के तथ्य के गवाहान के बयान में घोर विरोधाभाष एवं विसंगतियां हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं। तद्नुसार द्वितीय विचारणीय बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

निष्कर्ष

63– धारा–29 पॉक्सो अधिनियम यह उपधारित करती है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिये अभियोजित किया गया है। वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

64– उक्त के अतिरिक्त धारा 30 पॉक्सो अधिनियम आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करती है उक्त के अनुसार आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये किसी अभियोजन, में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसे मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिये यह तथ्य साबित करने के लिये प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन का किसी अपराध के लिये आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में

उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता सम्भाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती हो।

65– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सोनू कनौजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 7 आई०एल०आर०–ए 1174** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि धारा–29 व 30 पॉक्सो अधिनियम की उपधारणा हेतु प्राथमिक रूप से अपराध के मूलभूत तत्वों को साबित करने का दायित्व अभियोजन को उन्मोचित करना आवश्यक है। परन्तु अभियोजन प्रश्नगत मामले में अपराध के मूलभूत तत्वों को साबित करने में असफल रहा है।

66– अतः उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय का मत है कि अभियुक्त दीपक के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो अधिनियम को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त दीपक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित होगा।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–224/2022, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत अभियुक्त दीपक पुत्र रामराज को धारा–377 भा०दं०सं० व धारा–5(m)/6 पॉक्सो अधिनियम दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू के बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उन्हें उनके जमानत दायित्व से निर्मुक्त किया जाता है। परन्तु अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) दं०प्र०सं० प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू के बंधपत्र अगले 06 माह तक प्रभाव में रहेगें।

निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती को धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुक्रम में भेजी जाये।

दिनांक–06–04–2026 (निर्दोष कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–06–04–2026 (निर्दोष कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।